प्रेस नोट जनपद बलिया

दिनांक- 13.01.2025

थाना रसड़ा जनपद बलिया पुलिस टीम द्वारा मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना का सफल अनावरण।

रसड़ा पुलिस द्वारा मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 05 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।

मोबाइल की दुकान से चोरी किये गये 62 अदद मोबाइल फोन, 21 अदद ईयर फोन, 09 अदद नेक बैण्ड, 15 अदद एडाप्टर चार्जर, 06 अदद पावर बैंक, 294 मोबाइल बैटरी, 254 अदद मो0 फोन के फोल्डर / डिस्प्ले आदि बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में ***श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक(उत्तरी) श्री अनिल कुमार झा*** के पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी रसड़ा मो0 फहीम के कुशल नेतृत्व में चोरी की घटना का सफल अनावरण करने में थाना रसड़ा पुलिस टीम को मिली सफलता।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है दिनांक 06.01.2025 को थाना रसड़ा पर वादी मुकदमा द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि प्रार्थी की भगत सिंह तिराहे के पास श्रीनाथ कटरे में मोबाइल फोन और एसेसरीज की दूकान है। ***दिनांक 05/01/2025 दिन रविवार की रात्रि में दुकान का सटर काटकर दुकान से मोबाईल, मोबाईल फोल्डर, इयर बड, बैट्री, चार्जर इत्यादि की चोरी हो गई है।*** प्रार्थी दिनांक 06.01.2025 को जब अपनी दुकान पर पहुँचा तब दुकान का सटर खुला था तथा सभी सामान गायब थे। इस सूचना पर थाना रसड़ा पर तत्काल मु0अ0सं0-09/2025 धारा 331(4),305(a) BNS पंजीकृत करते हुए प्र0नि0 रसड़ा द्वारा घटना के शीघ्र अतिशीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास किया जा रहा था जिसके क्रम में सफलता मिली है।

दिनांक 12.01.2025 की रात्रि थाना रसड़ा पुलिस टीम के उ0नि0 विश्वदीप सिंह, प्र0उ0नि0 दुर्गेश गोड़ मय फोर्स द्वारा रात्रि गस्त चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान भगत सिंह तिराहे के के पास मौजूद थे कि मुखबिरी सूचना मिली कि दिनांक 05.01.2025 को मोबाइल की दुकान से सटर काटकर हुई चोरी की घटना कारित करने वालें लोग चोरी किये हुए सामान के साथ ग्राम मन्दा से चलकर पकवाईनार की तरफ ईरिक्शा से माल लेकर बेचने के लिए जा रहें है। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकता हैं इस सूचना पर तत्काल रसड़ा पुलिस टीम द्वारा **मन्दा रेलवे क्रासिंग** पहुँच कर घेराबन्दी कर चेकिंग की जाने लगी कुछ समय बाद एक ई-रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया जैसे ही ईरिक्शा नजदीक आया जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकर घेरकर पकड़ना चाहे कि पुलिस को देखकर ईरिक्शा में मौजूद व्यक्ति भागना चाहें कि पुलिस टीम द्वारा घेर कर सभी को पकड़ लिया गया। पकड़े व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो **क्रमशः 1. मनोज कुमार पुत्र रामदेव निवासी मन्दा थाना रसड़ा जनपद बलिया उम्र करीब 19 वर्ष 2. राजू कुमार पुत्र राम नन्द राम निवासी मन्दा थाना रसड़ा जनपद बलिया उम्र करीब 20 वर्ष 3. रितेश कुमार पुत्र विरेन्द्र राजभर निवासी ग्राम कटया थाना रसड़ा जनपद बलिया उम्र करीब 25 वर्ष 4. साधु पुत्र सुरेन्द्र राम निवासी मन्दा थाना रसड़ा जनपद बलिया उम्र करीब 20 वर्ष 5. 01 नफर बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष बताये।** जिनके कब्जे से बोरी, कार्टून व ट्राली बैंग में रखे (62 अदद मोबाइल फोन , 21 अदद ईयर फोन , 09 अदद नेक बैण्ड, 15 अदद एडाप्टर चार्जर , 06 अदद पावर बैंक , 294 मोबाइल बैटरी , 254 अदद फोल्डर / डिस्प्ले मो0 फोन) बरामद हुआ तथा चालक की सीट को खोल कर देखा गया तो उसमें एक अदद ग्रैन्डर (कटर मशीन) भी बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर सभी पकड़े गये व्यक्तियों नें एक स्वर में बोला कि साहब यह वही कटर है जिससे हम लोगो नें मोबाइल के दुकान के सटर के लाक काटने में प्रयोग किया गया था। सभी अभियुक्तों को नियमानुसार समय करीब 23.15 बजे गिरफ्तार किया गया तथा बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पूछताछ अभियुक्त-

पूछताछ में बाल अपचारी ने बताया कि साहब यह ई-रिक्शा UP 60 BT 6099 जो मेरे चाचा का है जिसे मैं अपने चाचा से मांगकर कभी कभी चला लेता हूँ तथा सवारी में चलाकर कमाता हूँ। तथा सभी पकड़े गये अभियुक्तों नें बताया कि साहब हम लोग दिनांक 05/06.01.2025 की रात्रि में हम लोगों नें मिलकर श्रीनाथ मार्केट कटरा स्थित श्रीनाथ मोबाइल संगम भगत सिंह तिराहा के पास रसड़ा के यहा से हम सभी मिलकर दुकान के सटर का लॉक ग्राइन्डर मशीन से काटकर मोबाइल की दुकान से मोबाइल व मोबाइल पार्ट चोरी कियें थे। साहब हम लोग उसी माल को लेकर ईरिक्शा से आज मऊ बेचने के लिए जा रहें थे कि आप लोगो ने हम लोगो को पकड़ लिया।

अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0-09/2025 धारा 331(4),305(a) BNS बढोत्तरी धारा 317(2) BNS थाना रसड़ा, बलिया

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. मनोज कुमार पुत्र रामदेव निवासी मन्दा थाना रसड़ा जनपद बलिया उम्र करीब 19 वर्ष
2. राजू कुमार पुत्र राम नन्द राम निवासी मन्दा थाना रसड़ा जनपद बलिया उम्र करीब 20 वर्ष
3. रितेश कुमार पुत्र विरेन्द्र राजभर निवासी ग्राम कटया थाना रसड़ा जनपद बलिया उम्र करीब 25 वर्ष
4. साधु पुत्र सुरेन्द्र राम निवासी मन्दा थाना रसड़ा जनपद बलिया उम्र करीब 20 वर्ष
5. 01 नफर बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष

बरामदगी-

1. 01 अदद ई-रिक्शा रजि0नं0 UP 60 BT 6099
2. **01 अदद ग्रैण्डर कटर मशीन**
3. 62 अदद मोबाइल फोन
4. 21 अदद ईयर फोन
5. 09 अदद नेक बैण्ड
6. 15 अदद एडाप्टर चार्जर
7. 06 अदद पावर बैंक
8. 294 मोबाइल बैटरी
9. 254 अदद मो0 फोन के फोल्डर / डिस्प्ले

अभियुक्त मनोज कुमार का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-106/2020 धारा 325,323,504,304,34 भादवि थाना रसड़ा बलिया
2. NCR N0- 78/2020 धारा 323,504 भादवि थाना रसडा बलिया

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विश्वदीप सिंह थाना रसड़ा, बलिया
2. प्र0उ0नि0 दुर्गेश गोड़ थाना रसड़ा, बलिया
3. प्र0उ0नि0 राहुल राय थाना रसड़ा, बलिया
4. हे0का0 संदीप कुमार सिंह थाना रसड़ा, बलिया
5. हे0का0 अरविन्द यादव थाना रसड़ा, बलिया
6. हे0का0 हरिवंश यादव थाना रसड़ा, बलिया
7. हे0का0 सुरेश कुमार थाना रसड़ा, बलिया
8. का0 संतोष कुमार थाना रसड़ा, बलिया

सोशल मीडिया सेल
बलिया पुलिस

BALLIA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

थाना रसड़ा जनपद बलिया पुलिस टीम द्वारा मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना का सफल अनावरण।

मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार करते हुए 01 बाल अपचारी को लिया गया पुलिस अभिरक्षा में।